



क्रमांक : प.()/जरारासंविधि/पीएसएसटी-23/2024/

दिनांक :

अत्यावश्यक

प्राचार्य,
शिक्षाशास्त्री सम्बद्ध महाविद्यालय,
जरारासंविधि, जयपुर

विभागाध्यक्ष,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
जरारासंविधि, जयपुर

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पीएसएसटी, पीएसएसएसटी 23 की काउन्सलिंगों के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों में से रिपोर्टिंग किये गये अभ्यर्थियों की सूचना भिजवाने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाईन काउन्सलिंग के माध्यम से शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु पीएसएसटी/पीएसएसएसटी 2023 के माध्यम से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउन्सलिंग आयोजित कर अभ्यर्थियों का महाविद्यालय आवंटन किया गया।

इस संबंध में समस्त शिक्षाशास्त्री एवं शास्त्री शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार सूचनाएं समन्वयक, पीएसएसटी 2023, जरारासंविधि, जयपुर को आगामी दस दिवस की अवधि में Hard Copy & Soft copy में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें-

1. प्रथम, द्वितीय व तृतीय काउन्सलिंग में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग किये गये अभ्यर्थियों की कुल संख्या का अंकन तथा काउन्सलिंगवार पृथक्-पृथक् सूची निम्न कॉलम अनुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करावें:-

क्र. सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	लिंग	श्रेणी	जमा कराये गये शिक्षण शुल्क का चालान नम्बर/दिनांक	जमा कराये गये शिक्षण शुल्क की राशि	विशेष विवरण
----------	-----------	-----------------	-------------	------	--------	--	------------------------------------	-------------

2. काउन्सलिंगवार आवंटित, प्रवेशित एवं रिक्त सीटों का विवरण प्रारूप-1 के अनुसार प्रेषित करावें।
3. शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित प्रारूप-2 अनुसार प्रेषित करावें।
4. महाविद्यालयों को राज्य सरकार के नियमान्तर्गत शिक्षण शुल्क की राशि का भुगतान किया जाना है, इस हेतु महाविद्यालय के बैंक विवरण संबंधित सूचना प्रारूप-3 अनुसार प्रेषित करावें। (महाविद्यालय के संबंधित बैंक खाते का एक निरस्त चैक की प्रति भी आवश्यक रूप से संलग्न करें)।

कृपया उक्त सूचना की Soft copy Excel format में अनिवार्य रूप से Pen Drive में भेजें। भेजे जानी वाली सूचना अंग्रेजी के Times New Roman Font Size 12 में तैयार कर भिजवायें। उक्त सूचना की प्राप्ति के अभाव में महाविद्यालयों को शुल्क की राशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2023

दिनांक :

क्रमांक : प.()/जरारासंविधि/पीएसएसटी-23/2024/1406

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रभारी बेवसाईट, जरारासंविधि, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की बेवसाईट पर प्रदर्शित करावें तथा शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों को ईमेल पर भी प्रेषित करावें।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST-2023



Helpline No.:-(+91)-7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

प्रारूप-3

महाविद्यालय का बैंक विवरण

महाविद्यालय
कोड संख्या में पीएसएसटी/पीएसएसएसटी 2023 की समस्त काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित प्रवेशार्थियों की पाठ्यक्रम शुल्क की राशि महाविद्यालय के बैंक खाते में हस्तान्तरण करने हेतु महाविद्यालय का बैंक विवरण निम्न निर्धारित प्रारूप में प्रेषित है-

Sr. No.	Name of Principal Mob. No. Email ID	Bank Name & Address	A/c No.	IFSC Code	MICR Code	Remarks

नोट- महाविद्यालय के लेटर हैड पर ही बैंक डिटेल् की दो प्रति प्रेषित करें तथा उक्त विवरण के साथ बैंक खाते का एक निरस्त चैक संलग्न करें।

हस्ताक्षर मय मोहर प्राचार्य



प्रारूप-2

शपथ पत्र

(100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मय नोटरी प्रमाणित)

मैंपद..... महाविद्यालय का नाम

यह घोषणा करता/करती हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएसएसटी/पीएसएसएसटी 2023 की सभी काउन्सलिंगों के माध्यम से जिन अभ्यर्थियों ने मेरे महाविद्यालय में प्रवेश लिया है उनसे संबंधित समस्त दस्तावेजों की गहन जांच विश्वविद्यालय, एनसीईटी एवं राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत कर ली गई है। मेरे द्वारा जांच की जानकारी का ब्यौरा निम्न प्रकार है-

1. प्रवेश लेने वाले सभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बी.ए./शास्त्री, एम.ए./आचार्य में प्राप्तांक 50 प्रतिशत या इससे अधिक हैं एवं सभी आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टी.एस.पी., विकलांग व अन्य) अभ्यर्थियों के बी.ए./शास्त्री, एम.ए./आचार्य में प्राप्तांक 45 प्रतिशत या इससे अधिक है।
2. प्रवेश लेने वाले सभी आरक्षित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टी.एस.पी., विकलांग व अन्य) अभ्यर्थियों के प्रामाण पत्रों की जांच कर ली गई है जो नियमानुसार है।
3. प्रथम काउंसलिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि तक कुल , द्वितीय काउंसलिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि तक कुल तथा तृतीय काउंसलिंग में प्रवेश की अंतिम तिथि तक कुल अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है।
4. इस प्रकार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में कुल अभ्यर्थियों ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। काउंसलिंग के विभिन्न चरणों की अंतिम दिनांक के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया है।
5. महाविद्यालय को आवंटित किसी भी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार की शुल्क/राशि नहीं ली गई है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित छात्रों को आवंटित वर्ग/धारा/लिंग के अनुसार दस्तावेजों की जांच के उपरान्त ही प्रवेश दिया गया है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि कॉलम संख्या 1 से 6 तक लिखित समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य हैं इसमें किसी भी प्रकार की सूचना के गलत पाये जाने पर जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

ह0 प्राचार्य



प्रारूप-1

शिक्षाशास्त्री काउन्सलिंग सूचना बाबत।

महाविद्यालय

कोड संख्या में पीएसएसटी/पीएसएसएसटी 2023 की समस्त काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित प्रवेशार्थियों की सूचना निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र. सं.	नाम कार्यक्रम	आवंटित	प्रवेशित	रिक्त सीट	कुल शिक्षण शुल्क	दिनांक
1.	प्रथम काउंसलिंग					
2.	द्वितीय काउंसलिंग					
3.	तृतीय काउंसलिंग					

नोट - महाविद्यालय के लेटर हैड पर ही प्रेषित करें।

हस्ताक्षर मय मोहर प्राचार्य